( ) अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०– 80/2012

बच्चा देवी

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा, मढौरा, सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
07.05.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के आदेश ज्ञापांक 2187 , दिनांक 24.07.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.01.2012 को बच्चा देवी, ज0वि0प्र0वि, अनु सं0–84/2007, पंचायत–मशरक पश्चिमी, प्रखंड–मशरक, थाना–मशरक की दूकान की जांच जिला स्तरीय जांच दल सं0 17 (श्री इबरार आलम, वरीय उप समाहर्ता, सारण,छपरा) के द्वारा की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गयीः– (1) लाभुकों की सूची प्रदर्शित नहीं। (2) संयुक्त नमूना प्रदर्शित नहीं। (3) अभिलेख अनुमंडल कार्यालय में रखना। (4) निरीक्षण/ शिकायत पुस्तिका का संधारण नहीं। (5) कैशमेमो नही देना। (6) उठाव की सूचना निगरानी समिति को नहीं देना एवं उसकी देखरेख में वितरण नहीं करना। (7) प्रति लिटर 17 रू तेल देना। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 521 ,दिनांक 19.03.2012 के द्वारा	

विक्रेता से कारण-पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा लाभकों की सूची प्रदर्शित की गयी थी। खाद्यान्न का नमूना भी रखा गया था। माप-तौल से संबंधित उपकरण जांच दल को दिखाया गया था। अनुज्ञापन पदाधिकारी से प्राप्त निदेश के आलोक में दूकान से संबंधित सभी अभिलेख दिनांक 06.01.2012 को अनुमंडल कार्यालय, मढौरा में जमा किया गया था, जिसकी प्राप्ति रसीद विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया। विक्रेता के द्वारा निरीक्षण/ शिकायत पुस्तिका का संधारण किया गया था, लेकिन जांच दल के द्वारा मांग नही किए जाने की वजह से इसे नही दिखाया गया। विक्रेता के द्वारा जनवरी माह से कैश्मैमो पर वितरण किया जा रहा है। इसके पूर्व कैश्मैमो के स्थान पर कूपन के आधार पर वितरण किया जाता था, एवं वितरण पंजी पर हस्ताक्षर करवा लिया जाता था। विक्रेता के द्वारा निगरानी समिति के सदस्यों के समक्ष वितरण कार्य किया जाता है। विक्रेता के द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही वितरण किया जाता है। इनके द्वारा लगाया गया आरोप गलत है, एवं गाँव के विरोधी लोगों के द्वारा परेशान करने की नियत से लगाया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमतता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिशीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रज्ञगत आदेश (ज्ञापांक 2187, दिनांक 24.07.2012) में अंकित किया गया है कि विक्रेता से प्राप्त कागजातों की जांच के क्रम में विक्रेता के विरूद्ध कई गंभीर अनियमतताए पाई गई, जिसे आधार बनाकर यह आदेश पारित किया गया। प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक था कि इन अनियमतताओं के संबंध में विक्रेता से पूरक कारण पृच्छा किया जाता एवं प्राप्त जवाब के आलोक

जवाब के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसी प्रकार, अभिलेख में विक्रेता के विरूद्ध दिए गए कुल 2 उपभोक्ताओं का बयान रक्षित है, लेकिन न तो उसकी प्रति विक्रेता को उपलब्ध कराते हुए उनसे कारण पृच्छा किया गया, या न ही उनका नाम एवं उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का उल्लेख ही कारण पृच्छा में किया गया। अैतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए इस निदेश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विक्रेता को उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति उपलब्ध कराते हुए पुनः सभी प्रासंगिक बिन्दुओ पर कारण पृच्छा किया जाए, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 306 /न्या0, दिनांक 08/05/2015

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा,सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।